आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-117/2019

गीता कुमारी.....अपीलकर्त्ता

बनाम्

रिंकू कुमारी एवं अन्य.....विपक्षीगण

28.07.2023

आदेश

प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपीलवाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0-45/2019, श्रीमती गीता कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 05.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नलिखित हैः-

".....This Court would observe that to facilitate the expeditious consideration the petitioner should file a fresh appeal before the Divisional Commissioner, Saran on the said date when both the parties are present so that the final decision can be taken in this respect after hearing both the parties by a reasoned and speaking order in accordance with law expeditiously without undue delay and after due notice to any other parties who may be considered proper and necessary party in the instant proceeding."

1. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि अपीलकर्त्ता गीता कुमारी, पति-विजय कुमार, ग्राम रामपुर जैती, पो0-जैतीपुर, दरियापुर, जिला-सारण एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-76 (पंचायत-खानपुर) के सेविका पद हेतु आवेदन किया गया।

2. अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त आवेदनों के आलोक में मेधा सूची का प्रकाशन किया गया तथा अन्य प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए दिनांक 19.03.2015 को आयोजित आम सभा में अपीलकर्त्ता गीता कुमारी का चयन सेविका पद पर किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक 10.08.2015 को प्रशिक्षण-प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए प्रश्नगत आँगनबाड़ी केन्द्र सं0-76 का संचालन प्रारंभ किया गया।

3. अपीलकर्त्ता के चयन से असंतुष्ट होकर विपक्षी रिंकू कुमारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, सारण के समक्ष आँगनबाड़ी वाद सं0-09/2015 दायर किया गया। वाद की विधिवत सुनवाई के पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, सारण द्वारा पारित आदेश जो उनके ज्ञापांक-115(मु0), दिनांक 10.09.2016 द्वारा संसूचित है में अपीलकर्त्ता के चयन को बाह्य प्रभाव से दूषित पाए जाने के आधार पर रद्द करते हुए केन्द्र सं0-76 पर नए सिरे से नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया गया।

4. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, सारण के उक्त आदेश से विक्षुब्ध होकर अपीलकर्त्ता द्वारा **समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के संशोधित प्रावधान के तहत** जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के समक्ष आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0-14/2016 दायर किया गया। वाद की विधिवत सुनवाई के पश्चात दिनांक 04.09.2018 को पारित आदेश में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0), सारण के आदेश को इस आधार पर यथावत रखा गया कि अभिलेख पर रक्षित कागजातों के अवलोकन में अपीलकर्त्ता गीता कुमारी का चयन फर्जी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जाना पाया गया है।

5. जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-45/2019 दायर किया गया। जिसमें दिनांक 05.09.2019 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत वाद इस स्तर पर लाया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।

6. अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण और अवैध है तथा निरस्त करने योग्य है। उनके द्वारा कहा गया कि तत्समय प्रभावी नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप तथा मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रहने के आधार उनका चयन किया गया है, जिसमें कोई भी अनियमितता नहीं बरती गयी है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किए बिना तथा उनके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों पर समुचित विचार किए बिना आदेश पारित किया गया है। आगे कहा गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा मैट्रिकुलेशन की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार, पटना, इंटरमीडिएट की परीक्षा बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा परिषद से तथा स्नातक की डिग्री हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से प्राप्त की गयी है। जिसके आधार पर वे मेधा सूची में प्रथम स्थान पर रही है तथा उनका चयन भी किया गया है। इस क्रम में उनके द्वारा **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना ज्ञाप सं0-10878, दिनांक 24.08.2017** की प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उक्त अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-13343/2011 में दिनांक 07.05.2012 को पारित आदेश तथा उक्त के अनुपालन में विभागीय **अधिसूचना ज्ञापांक-5267, दिनांक 08.04.2016** तक अर्थात दिनांक 07.05.2012 से दिनांक 08.04.2016 के बीच की गयी नियुक्तियों के लिए हिन्दी विद्यापीठ, देवघर की डिग्री मान्य है। ऐसे में अपीलकर्त्ता को बोनस अंक का लाभ दिया जाना एवं उनके आधार पर चयन किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

उक्त के आधार पर अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि निम्न न्यायालीय आदेश को निरस्त किया जाए तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

7. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलकर्त्ता के कथन का खंडन किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि अपीलकर्त्ता द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपीलवाद दायर किया गया है। इस क्रम में आगे बताया गया कि अपीलार्थी का चयन वर्ष 2007 में भी सेविका पद पर किया गया था, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के पत्रांक-49, दिनांक 11.01.2008 द्वारा चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने के आधार पर रद्द कर दिया गया। तत्समय प्रभावी **सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका-2011 के कंडिका 4.12** के आलोक में चयन मुक्त सेविका पुनः चयन के अयोग्य होंगी। उनके द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि वर्ष 2015 में अपीलकर्त्ता का दुबारा चयन किया गया उस समय सेविका-सहायिका चयन में हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा निर्गत डिग्री की मान्यता नहीं थी। चूँकि अपीलार्थी के चयन मुक्ति के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, ऐसे में उक्त आदेश के आलोक में अपीलार्थी को कोई लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

उक्त के आधार पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज किया जाए तथा विपक्षी का चयन प्रश्नगत सेविका पद पर किया जाए।

8. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि आँगनबाड़ी केन्द्र/कोड संख्या-76, परियोजना दरियापुर हेतु दिनांक 21.09.2014 को प्रभात खबर में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में मेधासूची का प्रकाशन किया गया है। दिनांक 19.03.2015 को आयोजित आमसभा में मेधासूची में प्रथम स्थान पर रही अभ्यर्थी गीता कुमारी का चयन सेविका पद पर किया गया है। जहाँ तक हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से प्राप्त स्नातक की डिग्री के आधार पर अपीलार्थी को बोनस अंक का लाभ दिए जाने का प्रश्न है तो **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-10878, दिनांक 24.08.2017** में स्पष्ट किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-13343/2011 में पारित आदेश की तिथि दिनांक 07.05.2012 एवं उक्त के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5267, दिनांक 08.04.2016 के बीच की अवधि में की गयी नियुक्तियों के लिए हिन्दी विद्यापीठ देवघर से प्राप्त डिग्री को मान्यता दी गयी है। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी का आरोप है कि अपीलकर्त्ता का वर्ष 2007 में भी सेविका पद हेतु चयन किया गया था, जिसे जिलाधिकारी के पत्रांक-49, दिनांक 11.01.2008 द्वारा चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरते जाने के आधार पर रद्द कर दिया गया है। आगे कहा गया कि

तत्समय प्रभावी **सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2011** के कंडिका 4.12 में अंकित प्रावधान निम्नलिखित है:–

(i) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे।

(ii) किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया घोषित अभ्यर्थी इस पद के लिए अयोग्य होंगी।

(iii) सेविका एवं सहायिका आपस में किसी प्रकार से संबंधित/रिश्तेदार नहीं होंगी, यथा सास–बहु/ननद–भाभी/देवरानी–जेठानी/माँ–बेटी/बहन–बहन/बहन–भतीजी/सगी–गोतनी आदि।

(iv) विभिन्न अनुशासनिक/जाँच कारणों से चयनमुक्त की गई सेविका/सहायिका पुनः चयन के लिए अयोग्य होगी।

उनके द्वारा आगे कहा गया कि पूर्व में खानपुर पंचायत में सेविका पद पर चयनित होने के बिन्दु पर अपीलकर्त्ता द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया है। इस संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, (आई0सी0डी0एस0) के प्रश्नगत आदेश के अवलोकन में यह अंकित पाया गया है कि *".....इस सन्दर्भ में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर से स्थिति सुस्पष्ट करने हेतु निदेश दिया गया, किन्तु परियोजना पदाधिकारी द्वारा उक्त मामलें में अनभिज्ञ रखा गया। जिससे प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ की दृष्टिकोण से ही परियोजना पदाधिकारी द्वारा स्थिति को सुस्पष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र/कोड संख्या–76 पर चयन प्रक्रिया पूर्णतः बाहय प्रभाव से दूषित हैं।....."*

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा कहा किया गया कि उपरोक्त तथ्यों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उपयुक्त निर्णय लिया जा सकता है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुनने, अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों एवं निम्न न्यायालीय आदेश के सावधानीपूर्वक अवलोकनोपरांत यह पाया गया है कि,

(1) तत्सयम प्रभावी **सेविका सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2011 के कंडिका 4.12** में अंकित किस अथवा किन प्रावधानों के तहत निम्न न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को चयनमुक्त किया गया है, यह स्पष्ट नहीं की गयी है। अगर उपरोक्त चार कारणों में से एक भी प्रावधान के तहत evidence के आधार पर अपीलकर्त्ता के चयन मुक्त किया गया हो तो निम्न न्यायालय के आदेश को सही माना जा सकता है। लेकिन अभिलेख में इससे संबंधित कोई आधार उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में पूर्व के मामलें में अपीलकर्त्ता को सेविका पद से हटाए जाने के कारण के आधार पर आँगनबाड़ी वाद सं0–09/2015 में अपीलकर्त्ता के चयन को रद्द किया जाना अनुचित प्रतीत होता है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 13343/2011 में दिनांक 07.05.2012 को दिए गए Observation के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचना सं0-10878, दिनांक 24.08.2017 में संसूचित है कि *".....हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिनांक 07.05.2012 से पूर्व प्रदत्त उपाधियों के आधार पर दिनांक 07.05.2012 से अधिसूचना ज्ञापांक-5267, दिनांक 08.04.2016 निर्गत होने के बीच (अर्थात दिनांक 08.04.2016 तक) की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति उक्त अधिसूचना से अप्रभावित रहेगी...../"* चूँकि प्रश्नगत आँगनबाड़ी परियोजना हेतु हिन्दी विद्यापीठ, देवघर से प्राप्त स्नातक की डिग्री के आधार पर बोनस अंक का लाभ देते हुए अपीलार्थी का चयन वर्ष 2015 अर्थात दिनांक 07.05.2012 से दिनांक 08.04.2016 के बीच किया गया है। स्पष्टतः अपीलकर्त्ता के चयन का मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-10878, दिनांक 24.08.2017 से पूर्णतः आच्छादित है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 13343/2011 में दिनांक 07.05.2012 को पारित आदेश एवं उसके क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-10878 दिनांक 24.08.2017 के सम्यक अवलोकन में अपीलार्थी का चयन वैध प्रतीत होता है।

उपर्युक्त वर्णित कारणों से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, सारण के ज्ञापांक-115(मु0), दिनांक 10.09.2016 द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। तदनुसार, प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त
सारण प्रमंडल, छपरा।